संख्या-124/सत्तर-1-2017-16(114)/2010 टी0सी0

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 02 /रा0उ0शि0प0/20
दिनांक 10-04-2017

सेवा में,

1- कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक: 08 अप्रैल, 2017

विषय:- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिये आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 के संशोधित विनियमों को लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिये आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 के प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-50(6) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2840/सत्तर-1-2010 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तथा शासनादेश संख्या-377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 निर्गत किये गये थे। उक्त शासनादेशों के संदर्भ में शासनादेश संख्या-5/2015/98/सत्तर-1-2016-16(114)/2010 दिनांक 28 मई, 2015 तथा शासनादेश संख्या-10/2016/1125/सत्तर-1-2016-16(114)/2010 दिनांक 22 नवम्बर, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों के अध्यापकों की प्रोन्नति हेतु कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम को लागू किया गया।

2- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-एफ.1-2/2009(ईसी/पीएस)5(1) खण्ड-2 दिनांक 13 जून, 2013, अधिसूचना संख्या-एफ.1-2/2016(पीएस/संशोधन) दिनांक 04 मई, 2016 तथा अधिसूचना संख्या-मि0सं0 1-2/2016(पीएस/संशोधन) दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिये आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 के कतिपय विनियमों/धाराओं में संशोधन किये गये हैं।

10/04/17

-2-

3- शासनादेश संख्या-2840/सत्तर-1-2010 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तथा शासनादेश संख्या-377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सम्बन्ध में लागू किये गये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के उपरोक्त नियमन, 2010 के विनियमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-एफ.1-2/2009(ईसी/पीएस)5(1) खण्ड-2 दिनांक 13 जून, 2013, अधिसूचना संख्या-एफ.1-2/2016(पीएस/संशोधन) दिनांक 04 मई, 2016 तथा अधिसूचना संख्या-मि0सं01-2/2016(पीएस/संशोधन) दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा किये गये संशोधनों को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-50(6) के अन्तर्गत इस शासनादेश के निर्गत किये जाने की तिथि से उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सम्बन्ध में इस शर्त के साथ लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल एतदद्वारा प्रदान करते हैं कि जिन पदों पर पूर्व नियमों/व्यवस्था के आलोक में चयन आदि की कार्यवाही पूर्ण हो गयी हो अथवा प्रचलित हो उन पर विज्ञापन की शर्तों आदि में अब परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

कृपया विश्वविद्यालय के परिनियमों में उपर्युक्तानुसार प्राविधान विश्वविद्यालय स्तर पर समाहित कर लिये जायें तथा अनुपालन आख्या शासन को 15 दिन के अंदर उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-124(1)/सत्तर-1-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/ कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
(2) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
(5) अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करते हुये समस्त सम्बन्धित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
(6) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(7) सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(8) निजी सचिव, मा0 उप मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
(9) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) गार्ड फाइल।

भवदीय,

मधु जोशी

(मधु जोशी)
विशेष सचिव

CAS.G.O